संख्या- 26 **/2025/I/** 917370 **/2025/71-1005(001)/2/2025**

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 75 **मार्च, 2025**

विषय:-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-सी-20071/2024 साधन साहू बनाम भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी के मानक मद-42 अन्य व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/534, दिनॉक 30.01.2025 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-सी-20071/2024 साधना साहू बनाम भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में स्व0 श्री अशोक कुमार साहू वार्ड ब्वाय राजकीय मेडिकल कालेज झांसी की पत्नी श्रीमती साधना साहू को एक्स-ग्रेसिया के रूप में रू0 50.00 लाख का भुगतान किये जाने हेतु राजकीय मेडिकल कालेज झांसी के मानक मद 42-अन्य व्यय में रू0 50.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से मॉग की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-सी-20071/2024 साधना साहू बनाम भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में स्व0 श्री अशोक कुमार साहू वार्ड ब्वाय राजकीय मेडिकल कालेज झांसी की पत्नी श्रीमती साधना साहू को एक्स-ग्रेसिया के रूप में रू0 50.00 लाख का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-42-राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी के मानक मद-42 अन्य व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कुल धनराशि **रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (**संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार**) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।

3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जायेगी।

4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050342 मेडिकल कालेज झांसी **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 25-03-2025 19:38:01

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झांसी।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20242025-71-1005-001-2-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-सी-20071/2024 साधना साहू बनाम भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210050010300 (निदेशन)	01 (वेतन)	6,50,00,000 रुपये छह करोड़ पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	2024-2025
कुल					₹ 50,00,000	₹ 50,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050342 (मेडिकल कालेज झांसी)	42 (अन्य व्यय)	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	61,00,000 रुपये इकसठ लाख मात्र	2024-2025
कुल				₹ 50,00,000	₹ 50,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-
1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2210-05-001-03-निदेशन के मानक मद 01-वेतन में रू0 50.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-सी-20071/2024 साधना साहू बनाम भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में स्व0 श्री अशोक कुमार साहू वार्ड ब्वाय राजकीय मेडिकल कालेज झांसी की पत्नी श्रीमती साधना साहू को एक्स-ग्रेसिया के रूप में रू0 50.00 लाख का भुगतान किये जाने हेतु राजकीय मेडिकल कालेज झांसी के मानक मद 42-अन्य व्यय में रू0 50.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-596-E-3-428-X-2024-25-दिनांक:18-03-2025

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी प्रथम/द्वितीय)
उ0प्र0, प्रयागराज।

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)
अनु सचिव।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।